

PRADHANMANTRI KAUSHAL VIKAS YOJNA

RAIL KAUSHAL VIKAS YOJNA

IMPORTANT INFORMATIONS

Trades: 1. Machinist 2. Welder 3. Fitter

Eligibility: Matriculation (10th Standard pass), Age- 18-35 Years

Selection Process: Selection is based on merit as in 10th standard. Trades shall be allotted based on merit and preference. In case of CGPA in 10th standard, same shall be equated in numbers, by multiplying with 9.5, as prescribed by CBSE.

Employment: Candidates having passed this Training will be eligible for jobs or may start their own work. They shall have no claim on railways for employment.

Reservation: Not applicable

Attendance: 75% compulsory

Training Period: 100 hours/ 3 Weeks/ 18 days

Pass Criteria: 55 % in written and 60% in practical

Others:

- I. Training is free of cost. Trainees shall have to arrange for fooding, boarding, lodging and transportation on their own.
- II. No any allowances are admissible to Trainee.
- III. Training is only in day time.
- IV. All the rules of Training centre shall be followed by Trainees. Training centre shall make all efforts to train candidates with full safety. Trainee shall himself be responsible for his health, safety or any incident. Railways shall not be responsible.

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना

रेल कौशल विकास योजना

महत्वपूर्ण जानकारी

ट्रेड्स: 1. मशीनिस्ट 2. वेल्डर 3. फिटर

योग्यता: मैट्रिक (10 वीं कक्षा पास), आयु- 18-35 वर्ष

चयन प्रक्रिया: चयन 10 वीं कक्षा में योग्यता के आधार पर होता है। ट्रेडों को योग्यता और वरीयता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। 10वीं कक्षा में सीजीपीए के मामले में, सीबीएसई द्वारा निर्धारित अनुसार 9.5 से गुणा करके गणना की जाएगी।

रोजगार: इस प्रशिक्षण को उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवार नौकरी के लिए योग्य होंगे या वे अपना काम शुरू कर सकते हैं। रेलवे पर रोजगार के लिए उनका कोई दावा नहीं होगा।

आरक्षण : लागू नहीं

उपस्थिति : 75% अनिवार्य

प्रशिक्षण अवधि: 100 घंटे/ 3 सप्ताह/ 18 दिन

सफलता मानदंड: लिखित में 55% और व्यावहारिक में 60%

अन्य:

- I. प्रशिक्षण निःशुल्क है। प्रशिक्षु को भोजन, आवास, परिवहन की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- II. प्रशिक्षु को कोई भत्ता देय नहीं है।
- III. प्रशिक्षण केवल दिन के समय में होता है।
- IV. प्रशिक्षण केंद्र के सभी नियमों का प्रशिक्षुओं द्वारा पालन किया जाएगा। प्रशिक्षण केंद्र उम्मीदवारों को पूरी सुरक्षा के साथ प्रशिक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। प्रशिक्षु अपने स्वास्थ्य, सुरक्षा या किसी भी घटना के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा।